न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।
उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।
अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–1126 / 2026

गौरव कुमार चौधरी उर्फ गौरव चौधरी बनाम् बिहार सरकार

महुआ थाना कांड संख्या–156 / 2026

अंतर्गत धारा–25(1–बी)a, 26, 35 आर्म्स एक्ट।

Web Copy not Official

27-05-2026 महुआ थाना कांड संख्या–156 / 2026, धारा–25(1–बी)a, 26, 35 आर्म्स एक्ट में गिरफ्तारी की आशंका के कारण आवेदक **गौरव कुमार चौधरी उर्फ गौरव चौधरी उम्र–35 वर्ष पेसर–स्व0 अरूण चौधरी** साकिन–जहांगीरपुर सलखन्नी थाना–महुआ, जिला–वैशाली के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता **श्री जय प्रकाश कुमार** एवं विद्वान लोक अभियोजक **श्री श्यामबाबू राय** को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

जमानत आवेदन की कण्डिका 02 में उल्लिखित है कि आवेदक के तरफ से पूर्व में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है।

अभियोजन का संक्षिप्त मामला है कि, दिनांक–08.03.2026 को समय 10:07 बजे सूचक दिवा गश्ती हेतु सशस्त्र बल के साथ थाना से प्रस्थान किया। गश्ती के क्रम में समय 16:36 बजे कुशहर चौक पर भ्रमणशील था तभी उसे थाना अध्यक्ष द्वारा दूरभाष के माध्यम से सूचना दी गई कि पातेपुर थानाध्यक्ष विशेष कार्य बल जिला आसूचना ईकाई हाजीपुर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है कि आज पातेपुर थाना क्षेत्र में पातेपुर थाना विशेष कार्य बल एवं जिला आसूचना ईकाई की संयुक्त अभियान में कृष्ण कुमार, त्रिभुवन कुमार एवं शिवम कुमार अवैध अग्रेयास्त्र के साथ गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक जींच में यह बात प्रकाश में आई है कि पकड़ाये तीनों व्यक्ति अवैध आग्रेयास्त्र की तस्करी करते है। उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि आज ही महुआ थाना क्षेत्र के ग्राम जहॉगीरपुर सलखन्नी निवासी गौरव कुमार चौधरी को एक देशी पिस्टल बेचे है। उक्त प्राप्त सूचना के आलोक में तुरंत महाल चौकीदार के साथ में छोपामारी करना सुनिश्चित करे अन्यथा पकड़ाये तीनों अभियुक्तों के गिरफ्तारी की भनक लगते ही साथी गौरव चौधरी फरार हो सकते है। थानाध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचक कुशहर चौक से प्रस्थान किया एवं महाल चौकीदार 2/12 रत्नेश पासवान को टाड़ा चौक स्थित हनुमान मंदिर के पास पहुंचने हेतु आदेशित किया। ग्राम जहॉगीरपुर सलखन्नी स्थित गौरव चौधरी के घर पर समय 16:55 बजे पहुॅच कर उसके घर का घेराबंदी कर ही रहे थे तभी वह देखे कि एक पुरूष तथा एक महिला घर से निकलर तेजी से भाग रहे हैं। साथ आये बल के द्वारा भाग रहे दोनों व्यक्तियों को खदेड़कर पकड़ने का प्रयास किया गया। महिला बल के द्वारा भाग रही महिला को पकड़ लिया गया। परंतु पुरूष व्यक्ति भागने में सफल रहा। पकड़ायी महिला से नाम पूछने पर उसने अपना नाम मीनु कुमारी बतायी। जब इनसे भागने वाले व्यक्ति का नाम पूछा गया तो उसके द्वारा बताया गया

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–1126/2026

गौरव कुमार चौधरी उर्फ गौरव चौधरी बनाम् बिहार सरकार

लगातार

27.05.2026 कि भागने वाला व्यक्ति उसका पति गौरव चौधरी था। उसके बाद तलाशी नियमों का पालन करते हुए उसके घर की तलाशी ली गई तो उसके कमरे में रखे गोदरेज से एक नया देशी पिस्टल एवं गहना रखने के छोटा बॉक्स से पीतल का चार जिंदा गोली बरामद हुआ। उसके बाद बरामद सामानों को विधिवत जप्ती सूची तैयार कर उसे जप्त किया गया और गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को दी गई। उसके बाद पकड़ाये अभियुक्त मीनु कुमारी को विश्वास में लेकर पूछताछ किया गया तो उसके द्वारा बताया गया कि उसका पति पातेपुर से हथियार खरीदकर लाता है और फिर उसी हथियार को अधिकर दामों में बेचता है।

Web Copy not Official

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि, आवेदक निर्दोष है तथा उसे मिथ्या रूप से इस मामला में फंसाया गया है। अभियोजन कथानक पूर्णतः मनगढंन्त है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदक के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदक के विरूद्व धारा–25(1–बी)ए, 26, 35 आर्म्स एक्ट का आरोप नहीं बनता है। निवेदित है, आवेदक को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाय।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदक के अग्रिम जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते हैं।

उभय पक्षों को सुना। जमानत आवेदन, मूल अभिलेख, कांड दैनिकी एवं उसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है जिसका नाम घटनास्थल से गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा लिया गया है और इस मामले के सह अभियुक्तगण कृष्ण कुमार, त्रिभुवन कुमार एवं शिवम कुमार जिसे अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है उनके द्वारा बताया गया है कि वे लोग गौरव कुमार चौधरी (आवेदक) को एक देशी पिस्टल बेचे है। उक्त प्राप्त सूचना के आलोक में आवेदक के घर जाकर तलाशी ली गई तो आवेदक की पत्नी मीनु कुमारी पुलिस द्वारा पकड़ी गई और आवेदक भागने में सफल रहा। आवेदक के घर के कमरे में रखे गोदरेज से एक नया देशी पिस्टल एवं गहना रखने के छोटा बॉक्स से पीतल का चार जिंदा गोली बरामद हुआ है। प्राथमिकी में उल्लिखित तथ्यों का समर्थन कांड दैनिकी की कंडिका 32 में अंकित बयान में साक्षी द्वारा किया गया है। प्राथमिकी अनुसार आवेदक पर हथियार खरीदने एवं बेचने का आरोप है। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि इस मामले के सह अभियुक्त मीनु कुमार जो आवेदक की पत्नी है, को इस न्यायालय द्वारा नियमित जमानत आवेदन सं0–365/2026 में पारित आदेश दिनांक–01.04.2026 से नियमित जमानत की सुविधा प्रदान की गई है। आवेदक के विरूद्व अभी अनुसंधान जारी है।

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या—1126/2026

गौरव कुमार चौधरी उर्फ गौरव चौधरी बनाम् बिहार सरकार

लगातार

27.05.2026 अतः मामले के तथ्यों, उभय पक्षों के तर्कों एवं आवेदक पर लगाए गए आरोप की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये आवेदक को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त नामित आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित

(हर्षित सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

Web copy not official